संख्या-42/2023/855/18-2-2023-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

प्रांजल यादव

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,

उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2023

विषयः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन /परिवर्द्धन ।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शासनादेश संख्या-3/2019/144/18-2-2019-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 29-3-2019, शासनादेश संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 18-6-2020 एवं शासनादेश संख्या-14/2023/155/18-2-2023-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 02-3-2023 द्वारा कतिपय संशोधन/परिवर्द्धन किये गये हैं। इस योजना के संचालन को और अधिक सरल एवं सुगम बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 के प्रस्तर-2.क.1 को निम्नवत संशोधित/ परिवर्द्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

क-कौशल वृद्धि प्रशिक्षण-प्रस्तर- 2.क.1

योजना के इस घटक में पारम्परिक कारीगरों की कौशल वृद्धि हेतु उन्हें उ0प्र0 कौशल मिशन के आर0पी0एल0 (Recognition of prior Learning) से जोड़ा जायेगा तथा इससे इतर ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत आच्छादित पारम्परिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर कौशल वृद्धि हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा। प्रशिक्षण स्थल तहसील अथवा जनपद मुख्यालय पर होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने प्रशिक्षार्थियों को RPL (Recognition of prior learning) सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 शासनादेश संख्या-3/2019/144/18-2-2019-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 29-3-2019, शासनादेश संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 18-6-2020 एवं शासनादेश संख्या-14/2023/155/18-2-2023-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 02-3-2023 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त यथावत रहेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तदिशा-निर्देशानुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रांजल यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।